

25.2.2025-022603000012/1-62

2024-25-

प्रारूप- ड
(नियम 7(2) देखिये)
॥ अनुशंसा ॥

प्रति

शीतल राजवाड़े आ० सोमारु
जाति रजवार निवासी ग्राम पसला
तहसील व जिला सूरजपुर छ०ग०

विषय:- कृषि प्रयोजन हेतु लगाये गये वृक्ष कटाई की अनुशंसा।

--0--

विषयांतर्गत आपका आवेदन दिनांक 27.02.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 27.02.2025 को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 28.02.2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु युकेलिप्टस प्रजाति के वृक्ष की संख्या 22 नग है।

अभिलेख व स्थल निरीक्षण के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचती हूं कि ग्राम पसला स्थित भूमि खसरा नंबर 909/4 रकबा 0.04 हे० स्थित 22 नग वृक्ष जिनकी प्रजाति युकेलिप्टस है को काटे जाने पर संहिता के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुशंसा अभिव्यक्त की जाती है।

छ०ग० वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1989(क. 9 सन् 1989) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927(1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छ०ग० परिवहन(वन उपज) नियम 2001 का पालन नहीं किये जाने पर यह अनुशंसा शुन्य होगी।

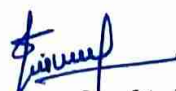
यह अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य होगी।



- 1- सूरजपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ ।
- 2- तहसीलदार सूरजपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- आवेदक शीतल राजवाड़े आ० सोमारु जाति रजवार निवासी ग्राम पसला तहसील व जिला सूरजपुर छ०ग० को वृक्ष कटाई एवं राजस्व अभिलेखों में अद्यतन कराने हेतु सूचनार्थ ।

नवीन शुक्ला


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)
प्रमाणित दिनांक 28/02/2025


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)